Estd-2004

लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

(सम्बद्ध - महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी)

मोतीकोट, गंगापुर, वाराणसी - 221302

Prospectus

Courses:

LL.B Three Year Course

B.A. LL.B Five Year Course

LOKBANDHU RAJNARAYAN LAW COLLEGE

MOTICOT, GANGAPUR, VARANASI - 221 302

Affiliated : Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi.

Estd-2004

News & Events

Prof. Anand Kumar, JNU, New Delhi in one Day seminar on Democracy & Dictatorship.

★ **20th Foundation Day Celebration!**

One Day Seminar, Guest Speaker, **Dr. S. S. Das**, Associate Prof., Dibrugarh University, Assam

★ One Day Seminar by **Dr. Keshri Nandan Sharma,** Astt. Prof., Law Faculty BHU & **Dr. Raju Manjhi,** Astt. Prof., Law Faculty BHU

Shri Ram Naik, Hon'ble Governor, Uttar Pradesh, being offered a momento by Subash Singh Manager, L.B.R Law College in a seminar organized by college on 14-02-2019.

★ Speech by **Dr. Dharmendra Mishra,** Associate Professor, Law Faculty, BHU Varanasi.

राजनारायण : हमारे प्रेरणास्त्रोत

(संक्षिप्त परिचय)

लोकबन्धु राजनारायण

1917 में कार्तिक मास की अक्षयनवमी को राजनारायण जी का जन्म वाराणसी जिले के गंगापुर विधानसभा क्षेत्र के मोतीकोट ग्राम में कृषक परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई अम्बिका प्रसाद सिंह जो शिक्षा के प्रति शुरू से जागरूक थे, जिन्होंने भैरोनाथ में इण्टर कालेज एवं महाविद्यालय की स्थापना की। उनकी देखरेख में राजनारायण जी ने राजनीति में कदम रखा।

राजनारायण जी B.H.U. से विधि स्नातक थे, उनका राजनीतिक जीवन 1938 में स्टुडेन्ट फेडरेशन से शुरू हुआ। 28 सितम्बर 1942 को स्वतंत्रता आन्दोलन में गिरफ्तार कर लिये गये और अगस्त 1948 में छोड़ दिये गये। 1948 में किसान आन्दोलन में जेल चले गये। 1952 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए गंगापुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गये और प्रथम विरोधी दल के नेता बने। 1957 में पुनः विधानसभा में पहुँचे। 26 मार्च 1966 को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1971 के चुनाव को अदालत में चुनौती दी और इन्दिरा गांधी को प्रथम बार अदालत में मुंह की खानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप इन्दिरा जी ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। 1977 के चुनाव में इन्दिरा गांधी की प्रिय सीट रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से पराजित किया और केन्द्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ जिसमें राजनारायण जी स्वास्थ्य मंत्री बनाये गये। राजनारायण जी अंग्रेजी के प्रबल विरोधी और प्रखर समाजसेवी थे। वे वास्तव में समाजवाद के संस्थापकों में से एक थे।

समाजवाद का यह सूर्य दिनांक 31 दिसम्बर 1986 को सदा के लिए अस्त हो गया और रह गयी उनकी वह यादें जो जीवन के लिए सतत् प्रेरणास्त्रोत है।

संदेश

सुबास सिंह
संस्थापक/प्रबन्धक

लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय की स्थापना ''आपातकाल के धूमकेतु,'' ''लोकबन्धु'' जैसे नामों से सुशोभित राष्ट्रीय क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजनारायण जी की स्मृति में की गयी। ग्रामीण क्षेत्र में विधि की शिक्षा की आवश्यकता एवं राजनारायण जी के ग्रामीण जनता से प्रेम के कारण उनके सपनों को पूरा करने के लिए मैंने ग्रामीण अंचल में विधि महाविद्यालय की स्थापना की। विधि के ज्ञान को जन-जन तक पहुँचाने तथा ग्रामीण छात्र/छात्राओं को विधि की शिक्षा देना ही इस महाविद्यालय का मूल संकल्प है। हम आशा करते हैं कि इस महाविद्यालय से अध्ययन कर निकलने वाले छात्र/छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। वे न्यायिक सेवा, विधिक व्यवसाय, अध्यापन और अन्य क्षेत्र में अपना, अपने परिवार और महाविद्यालय का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामना है।

लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय

मोतीकोट, गंगापुर, वाराणसी

यह निर्देशिका छात्रों की सुविधा हेतु प्रकाशित की गयी है। अतः छात्रों से अनुरोध है कि वे इसे ध्यान से पढ़कर महाविद्यालय की कार्य विधि एवं नियमों से अवगत हो जायें। संस्था में नियमों का पालन न सिर्फ अनुशासन व शैक्षणिक वातावरण हेतु ही आवश्यक है वरन् आदर्श नागरिक एवं प्रभावी कर्णधार की भूमिका निभाने के लिए भी उनका समुचित प्रतिपालन आवश्यक है। विद्यार्थियों के सम्बन्ध में महाविद्यालय के अधिनियमों, परिनियमों एवं अध्यादेशों का सख्ती से प्रतिपालन होगा और इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा।

महाविद्यालय का उद्देश्य

लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय की स्थापना 27 सितम्बर 2003 नवरात्रि के शुभ अवसर पर स्व. श्री लोकबन्धु राजनारायण की कर्मस्थली पर की गयी। लोकबन्धु राजनारायण समाजवादी विचारधारा के प्रखर विचारक थे। ''आपातकाल के धूमकेतु'' के नाम से विख्यात लोकबन्धु ने एक बार कहा था ''गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है।'' इस रोटी को कमाने के लिए रोजगार परख शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचारित एवं प्रसारित करने के वे सख्त अनुयायी थे। उन्हीं के उद्देश्यों एवं यश कीर्ति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए तथा क्षेत्रीय जनता के अनुरोध पर तथा उनका उनके प्रति अनन्य अनुराग के कारण इस महाविद्यालय की स्थापना हुई।

इस महाविद्यालय का लक्ष्य एक अच्छी विधिज्ञ शिक्षा एवं विधि के कर्तव्यों की सम्पूर्ण जानकारी, जो कि भारत के संविधान में निहित है, छात्रों तक पहुँचाना एवं समझाना है। सामूहिक एवं समान शिक्षा हेतु महाविद्यालय में विधि की सभी शाखाओं की शिक्षा दी जायेगी। विधि एवं विधिज्ञ नियमों के अनुपालन की जानकारी छात्रों को दी जायेगी। जिम्मेदारी एवं कर्तव्यों का एहसास अपने एवं समाज के प्रति हो इसके हेतु छात्रों को मौलिक कर्तव्यों से अवगत कराया जायेगा। सामाजिक उत्थान के लिए विधि का हथियार एवं ढाल के रूप में उपयोग सिखाकर छात्रों को देश के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने की चेष्टा की जायेगी। महाविद्यालय में शिक्षण हेतु भव्य शिक्षण कक्ष एवं सुसज्जित पुस्तकालय, शिक्षणेत्तर क्रियाओं के लिए सुयोग्य वातावरण प्रदान करता है। छात्रों एवं छात्राओं हेतु वाचनालय की अलग-अलग व्यवस्था है। सुन्दर एवं शान्त क्षेत्र महाविद्यालय को एक असाधारण शैक्षिक संस्था बनाता है। महाविद्यालय का उद्देश्य एवं शैक्षणिक वातावरण संस्था को अद्वितीय बनाता है। संस्था के पाठ्यक्रम हेतु सेमेस्टर प्रणाली होगी अर्थात एक वर्ष में दो सेमेस्टर का आयोजन होगा।

महाविद्यालय में प्रवेश के सामान्य नियम

(1) महाविद्यालय में मेरिट के आधार पर सीधी प्रवेश प्रक्रिया अपनायी जाती है।

विधि स्नातक (एल एल. बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएँ -

(क) सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए - (I) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक की परीक्षा न्यूनतम 45% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(II) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु 10% सीटे आरक्षित हैं।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए स्नातक की परीक्षा न्यूनतम 42% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) अनुसुचित जाति/अनु0जनजाति/राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी/शारीरिक अक्षमता(विकलांग) अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5% की छूट अर्थात् 40% अंको के साथ स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(घ) ऐसे आवेदक जो बिना किसी बेसिक शिक्षा के इण्टरमीडिएट/स्नातक/परास्नातक किसी दूरस्त शिक्षा केन्द्र/ मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान से किये हैं वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगें।

(ड़) जो छात्र/छात्रा स्नातक अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र कि वे अन्तिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तथा उनका परिणाम अभी घोषित नहीं हुआ है, संलग्न करना होगा। महाविद्यालय में पंजीकरण के पूर्व स्नातक अंतिम वर्ष का अंकपत्र प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

★

विधि स्नातक (बी.ए. एल एल. बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) में प्रवेश सम्बन्धी न्यूनतम अर्हताएँ -

(क) सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए- (I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से इण्टरमीडिएट की परीक्षा न्यूनतम 45% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(II) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु 10% सीटे आरक्षित हैं।

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा न्यूनतम 42% अंको के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(ग) अनुसुचित जाति/अनु0जनजाति/राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी/शारीरिक अक्षमता(विकलांग) अभ्यर्थियों को न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5% की छूट अर्थात् 40% अंको के साथ इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

(घ) आवेदक किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से **+2**,इण्टरमीडिएट या इसके समकक्ष परीक्षा न्यूनतम अर्हता के साथ उत्तीर्ण हो तो विधि स्नातक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में आवेदन के लिए अर्ह होगा।

(2) **आयु सीमा- (वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के 1 जुलाई से गणना किया जायेगा)**
सभी वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए **एलएल.बी. त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु -** कोई आयु सीमा नहीं, **बी.ए. एलएल.बी. पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु -** कोई सीमा नहीं **(25 वर्ष से नीचे के छात्रों को वरीयता दी जायेगी।**

(3) विधि प्रथम समेस्टर में प्रवेश के समय छात्र/छात्राओं को अपने समस्त उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.), प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.) के साथ प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य है। किसी भी आवश्यक प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता में प्रवेश नहीं लिया जायेगा।

(4) महाविद्यालय की प्रशासनिक व्यवस्था के कारण यदि सत्र के मध्य में समय सारिणी में परिवर्तन आवश्यक होता है तो समय सारिणी में परिवर्तन किया जा सकता है।

(5) **प्रवेश फार्म भरकर जमा कर देने मात्र से प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जायेगी।** प्रवेश तभी पूर्ण माना जायेगा जब छात्र/छात्रा सम्पूर्ण शुल्क जमा करके महाविद्यालय द्वारा आनलाइन अपना प्रवेश पंजीकरण विश्वविद्यालय की साइट पर करा लेगा। जिस छात्र/छात्रा का प्रवेश अपूर्ण रहेगा उसे पूर्व सूचना देकर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(6) जिन प्रवेशार्थियों के अध्ययन क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि से अधिक का व्यवधान है उन्हें अपने अध्ययन में व्यवधान की अवधि के बारे में नोटरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना होगा। जिसमें निम्नलिखित तथ्यों का उल्लेख होना आवश्यक है :-

(क) **यह कि मैंने सत्र (पिछले सत्र)................में किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन नहीं किया है। मैं किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा निष्कासित भी नहीं किया गया हूँ।**

(ख) **यह कि मैं सत्र.............में............के कारण किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश नही ले सका।**

(ग) **यह कि मैं भारतीय दण्ड विधान की किसी भी अपराधिक धारा के अन्तर्गत न तो दण्डित हूँ और न विचाराधीन है। (यदि ऐसा कोई मामला विचाराधीन हो तो स्पष्टीकरण दें।)**

(घ) **यह कि मैं महाविद्यालय में अपने अध्ययन काल में निष्ठापूर्वक अध्ययन करूँगा तथा महाविद्यालय के सभी नियमों का पालन करते हुए अनुशासित रहूँगा।**

(ड.) **यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।**

(च) **उपरोक्त शपथपत्र महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत होगा।**

अनुशासन सम्बन्धी ध्यातव्य नियम

आप इस गरिमापूर्ण महापुरुष के नाम पर संचालित महाविद्यालय के निष्ठावान छात्र तथा इस संस्था के सदस्य होंगे। आपसे आशा की जाती है कि अपने क्रिया-कलाप तथा आचरण द्वारा अपने महाविद्यालय को गौरवशाली बनाने को प्रयासरत रहेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी से महाविद्यालय निम्नलिखित नियमों तथा निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा करता है :-

1. प्रत्येक छात्र को महाविद्यालय के निदेशक के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत एक परिचय-पत्र प्राप्त होगा जिसे हमेशा अपने पास रखना आवश्यक है, जो की 3 वर्ष के लिये मान्य होगा। महाविद्यालय के प्राध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा मांगने पर परिचय पत्र तत्काल दिखाना आवश्यक है। परिचय-पत्र न दिखाने पर रू. 200/- अर्थदण्ड देना पड़ेगा तथा नया बनवाना पड़ेगा।
2. परिचय-पत्र गायब होने, खो जाने या किसी दूसरे का परिचय-पत्र पाये जाने की सूचना छात्र द्वारा महाविद्यालय के प्राचार्य को तुरन्त देनी चाहिए।

अनुशासन सम्बन्धी उपर्युक्त नियमों के परिपालन के साथ-साथ आपसे अपेक्षा है कि आप जब तक महाविद्यालय परिसर में रहें, निम्नलिखित नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें:-

(1) महाविद्यालय में यत्र-तत्र निरुद्देश्य घूमना, अध्ययन कक्षों के सामने तथा बरामदों में अनावश्यक भीड़ लगाना तथा अमर्यादित बातें करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना जायेगा।

(2) महाविद्यालय के किसी भी कक्षा, बरामदे या प्रांगण में धूम्रपान करना या किसी प्रकार का नशा करके कक्षा में जाना दण्डनीय है, ऐसा करते छात्र को पाये जाने पर 200/- जुर्माना देना पड़ेगा।

(3) महाविद्यालय की दिवारों या परिसर में कहीं भी पोस्टर चिपकाना, किसी भी सम्पत्ति को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना, पान खाकर थूकना, कागज फाड़कर फेकना, नोटिस बोर्ड पर लगी सूचनाओं को फाड़ना दण्डनीय है।

(4) महाविद्यालय के किसी प्राध्यापक, अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करना, उसके पूछने पर अपना सही परिचय न देना, नाम-पता गलत बताना अनुशासनहीनता मानी जायेगी।

(5) महाविद्यालय प्रांगण में रेडियो, ध्वनि विस्तारक यन्त्र, अस्त्र-शस्त्र पूर्ण रूपेण वर्जित है।

(6) महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्गत व्यवस्था सम्बन्धी आदर्शों का पूर्ण रूपेण पालन करना अनिवार्य होगा।

उपर्युक्त नियमों का अनुपालन न करने वाले या अवहेलना करने वाले छात्रों के विरुद्ध महाविद्यालय की अनुशासन समिति दण्डात्मक कार्यवाही की संस्तुति कर सकती है। दण्डात्मक कार्यवाही छात्र द्वारा की गयी अनुशासन की प्रकृति पर निर्भर होगी, जो आर्थिक दण्ड या निलंबन भी हो सकता है। अनुशासन समिति इसके लिए जवाबदेह नहीं होगी एवं इस दण्डात्मक कार्यवाही का सख्ती से अनुपालन किया जायेगा।

कक्षा में उपस्थिति हेतु मानक

महाविद्यालय द्वारा कक्षा में उपस्थिति हेतु कुछ मानक निर्धारित किये गये हैं जो निम्नवत है-

(1) बिना सूचना दिये लगातार बीस दिन (20) तक अनुपस्थित रहने पर उपस्थिति रजिस्टर से नाम काट दिया जायेगा।

(2) जो छात्र किसी खेल-कूद या किसी अन्य प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हों उनको संस्था से अग्रसारण एवं अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

(3) जो छात्र किसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी/संस्था में कार्यरत हो उन्हे उक्त संस्था के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित अनआपत्ति प्रमाणपत्र (N.O.C.) महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। प्रमाणपत्र उपलब्ध न कराने पर उन्हें महाविद्यालय से कोई प्रपत्र/अकंपत्र देय नहीं होगा।

शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रत्येक छात्र की प्रत्येक कक्षा में ७५% उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति वाले छात्र को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। प्रत्येक कक्षा में अलग-अलग उपस्थिति ली जायेगी। अपनी उपस्थिति से सम्बन्धित सूचनाओं के लिए सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापक से परस्पर सम्पर्क करते रहना चाहिए। अभिभावकों से भी आशा की जाती है कि वे अपने पाल्यों की उपस्थिति के सम्बन्ध में सचेत रहें। **महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रशासन उपस्थिति के विषय में सख्त है। उपस्थिति कम होने पर प्रवेश निरस्त कर दिये जायेंगे अथवा परीक्षा से वंचित किया जा सकता है।**

आनलाइन परीक्षा फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश

विश्वविद्यालय ने **आनलाइन परीक्षा फार्म** भरने का प्रावधान कर दिया है। प्रथम,तृतीय एवं पंचम् सेमेस्टर के परीक्षा फार्म **सितम्बर/अक्टूबर** माह में तथा द्वितीय,चतुर्थ एवं षष्ठम् समेस्टर के परीक्षा फार्म **मार्च/अप्रैल** माह में भरे जाते हैं।

छात्रों को परीक्षा फार्म पूर्ण रूप से इण्टरनेट के माध्यम से भरकर तीन प्रतियों- कालेज प्रति,विश्वविद्यालय प्रति एवं छात्र प्रति में प्रिण्ट आउट लेकर महाविद्यालय में जमा करना होगा। छात्र को उसकी प्रति रिसीविंग के रूप में उसे लौटा दी जायेगी।

नोट- आनलाइन फार्म भर देने मात्र से छात्र का फार्म अग्रसारित नही किया जायेगा। फार्म अग्रसारित तभी होगा जब छात्र निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा---

(1) इण्टरनेट द्वारा पूर्ण रूप से भरा गया परीक्षा फार्म की तीनों प्रतियाँ महाविद्यालय में निर्धारित तिथि के अन्दर जमा हो।

(2) छात्र का सम्पूर्ण शुल्क जमा हो तथा परिचय पत्र उसके साथ रहे।

(3) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति हेतु मानक पूर्ण रहे।

(4) महाविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुशासनात्मक एवं शैक्षणिक मानक पूर्ण रहे।

परीक्षा सम्बन्धी विशेष निर्देश :-

(क) परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा कहीं भी निर्धारित किया जा सकता है। छात्र/छात्राओं को निर्धारित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी।

(ख) परीक्षा अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा-कक्ष में लेखन सामग्री तथा प्रवेश पत्र के अतिरिक्त कोई भी हस्तलिखित, छपा हुआ पुर्जा, कागज, पर्स, मोबाइल फोन आदि ले जाना वर्जित है। इसके विरुद्ध आचरण करने वाले छात्र/छात्रा के विरुद्ध निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

पुस्तकालय :-

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए एक सुसज्जित पुस्तकालय स्थापित है। इस पुस्तकालय में विधि स्नातक छात्र/छात्राओं के लिए पर्याप्त संख्या में पाठ्य पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय कार्ड पर दो पुस्तकें पन्द्रह (15) दिनों के लिए निर्गत की जाती हैं।

(★) पुस्तकालय में समाचार पत्र-पत्रिकाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। परिचय-पत्र जमा करके समाचार पत्र, पत्रिकाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। पत्र-पत्रिकाएँ तथा समाचार-पत्र किसी भी स्थिति में घर ले जाने की अनुमति नहीं है परन्तु निर्धारित शुल्क जमा करके फोटो-स्टेट प्रति प्राप्त की जा सकती है।

(★) पुस्तकालय से सन्दर्भ ग्रन्थ, शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस निर्गत नहीं किये जायेंगें।

(★) किसी पुस्तक को क्षति पहुँचाने, उस पर निशान लगाने या गुम करने वाले छात्र/छात्रा को दण्डित किया जायेगा जो कि उस पुस्तक के मूल्य के बराबर अर्थदण्ड या उस पुस्तक की नयी प्रति होगी।

(★) पुस्तकालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने पर उसे पुस्तकालय सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा तथा उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

(★) अन्तिम सेमेस्टर की परीक्षा देने से पूर्व पुस्तकालय से अदेयता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।

नोट- पुस्तकालय की सुविधा केवल उन छात्रों को उपलब्ध होगी जिन छात्रों की उपस्थिति कक्षा में 60% दर्ज होगी।

आन्तरिक क्रियाकलाप

महाविद्यालय में समय-समय पर वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इच्छुक विद्यार्थी सम्बन्धित प्रभारी से सम्पर्क करके इन प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। अन्तर महाविद्यालयीय प्रतियोगिताओं में भी विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु महाविद्यालय द्वारा व्यवस्था की जाती है। महाविद्यालय में 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व एवं महाविद्यालय का स्थापना दिवस 27 सितम्बर, लोकबन्धु राजनारायण स्मृति दिवस, 31 दिसम्बर तथा अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों पर कार्यक्रम आयोजित किये जाते है जिसमें प्रत्येक छात्र की उपस्थिति अनिवार्य है।

कुछ विशेष क्रियाकलाप भी महाविद्यालय द्वारा छात्रों से कराये जाते हैं जो अग्रलिखित हैं-

(1) मूटकोर्ट-

प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय द्वारा मूटकोर्ट का मंचन षष्ठम् सेमेस्टर के छात्रों द्वारा कराया जाता है। इस मंचन के अन्तर्गत आभाषीय कोर्ट को आधार बनाकर न्यायालयीय संचालन कराया जाता है। यह आयोजन छात्रों द्वारा शिक्षको के दिशा निर्देशन में कराया जाता है। इस आयोजन से छात्रों को अपनी प्रतिभा निखारने का सम्पूर्ण मौका मिलता है, जिससे भविष्य में उन्हें अपने विचार प्रवाहित करने में मदद मिलती है। इस आयोजन की विडियों रिकार्डिंग भी की जाती है। इस आयोजन में प्रदर्शन के आधार पर छात्रों को अंक प्रदान किया जाता है जो उनके अंकपत्र में जुड़ता है। मूटकोर्ट मंचन में सभी छात्र/छात्राओं की सहभागिता अनिवार्य है।

(2) लोकबन्धु राजनारायण लॉ सीरीज-

इस सीरीज के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर उच्चस्तरीय गोष्ठीयों, संगोष्ठीयों एवं वर्कशापों का आयोजन किया जाता है। जिसमें ख्यातिलब्ध विधिशास्त्री एवं शिक्षाविद अपने-अपने विचारों को प्रकट करतें हैं। गत सत्र में हुई संगोष्ठियों में **प्रो0 एस. के. सिंह, प्रो0 विजय कुमार राय** (हरिश्चन्द्र पी.जी.कालेज वाराणसी), **प्रो0 वी.पी.सिंह** (लॉ स्कूल बी.एच.यू. वाराणसी), **डा0 सुधीर कुमार एसोशिएट प्रोफेसर इन्सटीट्यूट आफ लीगल स्टडीज** (श्री रामस्वरूप मेमोरियल वि०वि०लखनऊ), **श्री दिनेश कुमार शर्मा एडवोकेट** (अध्यक्ष तहसील बार एसोशिएशन राजातालाब), **प्रो0 सतीश राय** (पूर्व विभागाध्यक्ष राजनीतिशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापिठ वाराणसी), **श्री प्रशान्त सिंह 'अटल'** (एडवोकेट हाईकोर्ट लखनऊ बेच) **प्रो0 धर्मेन्द्र मिश्र** (लॉ स्कूल बी०एच०यू० वाराणसी), **डा0 एस0 एस0 दास** (डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय), **डा0 केशरी नन्दन शर्मा एवं डा0 राजू मॉझी** (लॉ स्कूल बी०एच०यू० वाराणसी), **प्रो0 आनन्द कुमार** (जे०एन०यू० नई दिल्ली), आदि विधि विशेषज्ञों ने अपने-अपने विचारों से सभी को लाभान्वित कराया है।

(3) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में ज्येष्ठता सूची में स्थान पाने वाले छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन

महाविद्यालय में जो छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करके ज्येष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करते है, उन्हे महाविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है एवं शिलापट्ट पर उनका नाम अंकित किया जाता है जो भविष्य के लिये अविस्मरणीय होता है। सत्र 2019-20 में महाविद्यालय के **छात्र सुरेन्द्र प्रसाद ने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त कर माननीया राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल के कर कमलों द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया।** आप सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षित है कि आप अपने सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के अनुभव का लाभ उठाते हुए विश्वविद्यालय की ज्येष्ठता सूची में स्थान प्राप्त कर इस गौरवमयी परम्परा को आगे बढ़ाते रहें।

महाविद्यालय में हुये वार्षिकोत्सव

महाविद्यालय में सर्वप्रथम **27 सितम्बर 2005** को वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उ०प्र० योजना आयोग के **उपाध्यक्ष श्री राम शरण दास जी** उपस्थित हुए। महाविद्यालय के दूसरे वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में वाराणसी के तत्कालीन **जिला जज माननीय श्री चन्द्रदेव राय** जी उपस्थित हुए। इसी तत्वावधान में आगे बढ़ते हुए वर्ष 2009 के वार्षिकोत्सव समारोह में **राज्यसभा सांसद श्रीमती कुसुम राय** ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभायी। 2014 में आयोजित वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि **अजय राय**, तत्कालीन विधायक, पिण्डरा ने विधिक जागरूकता शिविर का उद्घाटन किया इस शिविर में लॉ स्कूल बी०एच०यू० के **प्रो0 डी0पी0वर्मा**, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के राजनीति शास्त्र विभाग के तत्कालिन विभागाध्यक्ष, **प्रो0 सतीश राय**, हरिश्चन्द्र पी०जी०कालेज के विधिविभाग से प्रसिद्ध विधिवेत्ता **डा0 एस0पी0मिश्रा व डा0 अशोक कुमार सिंह** उपस्थित हुए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए **14 फरवरी 2019** को लोकबन्धु राजनारायण समिति द्वारा आयोजित **''राजनारायण एवं प्रजातांत्रिक पुनर्जागरण में उनकी उपयोगिता '' विषयक समागम एवं नवसृजित लोकबन्धु राजनारायण इण्टर कालेज के आशीर्वाद समारोह का शुभारम्भ श्री राम नाईक, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश** के कर कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि **प्रो० टी०एन० सिंह कुलपति,** महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,उपस्थित थे। इसी क्रम में **27 सितम्बर 2023** को महाविद्यालय का **20 वॉ स्थापना दिवस समारोह** आयोजित किया गया जिसमें बतौर मुख्य अतिथि **जगदीश राय (विधायक)** एवं पूर्व कबीना मंत्री (उ०प्र० सरकार) उपस्थित हुए।

छात्रों के लिए विशेष निर्देश

महाविद्यालय के छात्रों के लिए यह विशेष निर्देश है कि छात्र किसी भी प्रकार की छात्र राजनीति या किसी मुद्दे को विवादित बनाकर पेश करना या अन्य किसी नेतृत्व जिसमें कि महाविद्यालय का अनुशासन भंग हो, बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। किसी भी छात्र को दोषी पाये जाने पर निष्कासित कर दिया जायेगा। महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की छात्र राजनीति या गुटबाजी मान्य नहीं होगी। कोई एक छात्र प्रतिनिधि प्राचार्य के सम्मुख छात्रों की बात प्रकट कर सकता है तथा उसका हर सम्भव निष्कर्ष निकाला जायेगा।

आवेदन-पत्र एवं शुल्क :-

आवेदन-पत्र विवरणिका सहित महाविद्यालय कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में सुबह **9.30** से **3.30** बजे तक **600/-रुपया** जमा कर प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन-पत्र हमारी वेबसाइट **www.lbrlawcollege.org** से भी डाउनलोड किया जा सकता है, जिसे पूरी तरह भरकर सम्बन्धित शुल्क के साथ कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश फार्म शुल्क एक बार जमा हो जाने पर किसी भी दशा में वापस नहीं होगी न ही किसी दूसरे के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी।

आवेदन-पत्र के साथ प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों की सूची

अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है :-

(1) हाई स्कूल से लेकर अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण की सभी परीक्षाओं (बोर्ड/विश्वविद्यालय) से प्राप्त अंक-पत्र तथा प्रमाण-पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँ। स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी के लिए त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के सभी भागों के अंक-पत्र अनिवार्य हैं। (स्वयं सत्यापित प्रतियाँ होना आवश्यक है)।

(2) प्रवेश के समय अन्तिम शिक्षा उत्तीर्ण संस्था से चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में जमा करना होगा।

(3) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से भिन्न विश्वविद्यालय से अन्तिम शिक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रवजन प्रमाण-पत्र मूल रूप से जमा करना होगा।

(4) अन्तराल होने पर इस आशय का शपथ-पत्र कि अन्तराल के दौरान कहीं भी अध्ययन नहीं किया है जमा करना होगा।

(5) यदि अभ्यर्थी योग्यता प्रदायी परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है/हो चुका है/हो चुकी है और परीक्षाफल प्रतीक्षित है तो जहाँ से अभ्यर्थी योग्यता प्रदायी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है उस संस्था के प्रधान का इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुआ है और परीक्षाफल प्रतीक्षित है।

(6) छात्रों को प्रवेश फार्म में अपना मोबाइल नं० अंकित करना आवश्यक है तथा भविष्य में किसी प्रकार का बदलाव होने पर महाविद्यालय को तुरन्त सूचित करें। किसी भी आकस्मिक सूचना हेतु मोबाइल नं० होना आवश्यक है।

आवेदन -पत्र के अस्वीकृत होने के कारण :-

(1) उपर्युक्त प्रेषित किये जाने वाले प्रपत्र में से किसी एक के न होने से।

(2) आवेदन-पत्र पर इंगित स्थानों पर अपने हस्ताक्षर न करना।

(3) आवेदन-पत्र का पंजीकरण तथा प्रवेश-पत्र पर अद्यतन फोटोग्राफ न लगाना।

(4) कोई सिफारिश दबाव या अवमान्य धन प्रस्तुत करने पर छात्र प्रवेश हेतु अयोग्य घोषित हो जायेगा।

एण्टी रैगिंग पंजीकरण-

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के 15 दिन के अन्दर आनलाइन एण्टी रैगिंग शपथ पत्र भरकर महाविद्यालय में एक प्रति में जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर छात्र के किसी भी कार्य का अग्रसारण नही होगा।

www.antiragging.in

शुल्क एवं भुगतान के नियम

महाविद्यालय की वार्षिक शुल्क इस प्रकार है -

विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम

एल एल.बी.- प्रथम वर्ष : रू. 18000/-
एल एल.बी.- द्वितीय वर्ष : रू. 19000/-
एल एल.बी.- तृतीय वर्ष : रू. 20000/-

विधि स्नातक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम

बी.ए. एलएल.बी.-
वार्षिक शुल्क प्रतिवर्षः रू. 35000/-

Scan QR Code

शुल्क भुगतान के तरीके-

छात्र/छात्रायें अपनी सुविधानुसार निम्न में से किसी भी प्रकार से शुल्क का भुगतान कर सकतें है :-

(1) महाविद्यालय के कैश काउण्टर पर नगद भुगतान द्वारा

(2) बैंक में NEFT द्वारा

(a) Name - Lokbandhu Rajnarayan Law College
(b) Bank - Central Bank of India
(c) Branch - Gangapur, Varanasi
(d) A/C No.- 2105414136
(e) IFS Code - CBIN 0281564
(f) Pin Code - 221302

नोट- U.T.R. नम्बर महाविद्यालय को उपलब्ध कराने पर ही शुल्क रसीद निर्गत की जायेगी।

(3) डिमाण्ड ड्राफ्ट (**D.D**) द्वारा छात्र **''लोकबन्धु राजनारायण विधि महाविद्यालय वाराणसी''** के नाम देय **डी.डी.** द्वारा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

(4) छात्र शुल्क का भुगतान **GOOGLE PAY** या **Paytm** से भी कर सकते हैं।

महाविद्यालय के नियमानुसार छात्रों को सम्पूर्ण शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा। विशेष परिस्थितियों में शुल्क को किस्तों में जमा किया जा सकता है जिसके लिए उक्त छात्र को उचित कार्यवाही प्रेषित करनी होगी। **सम्पूर्ण शुल्क जमा होने के उपरान्त ही शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा तथा प्रवेश पूर्ण माना जायेगा।** इस उद्देश्य से छात्रों को सूचित किया जाता है कि पूर्ण शुल्क जमा कर शुल्क रसीद एवं परिचय पत्र प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त **परीक्षा शुल्क 2350/- रूपये प्रति सेमेस्टर** परीक्षा फार्म भरते समय देय होगा जिसे विश्वविद्यालय नियमानुसार भविष्य में परिवर्तित किया जा सकता है। किसी भी छात्र को विवेकानुसार निर्धारित शुल्क में छूट देने का अधिकार प्रबन्ध समिति के पास सुरक्षित है। **द्वितीय एवं तृतीय वर्ष हेतु छात्रों को शुल्क के साथ 300/-रू0 का नामांकन फार्म (Registration Charge) भरना पड़ेगा। (नोट-छात्र/छात्राएं शुल्क प्राप्ति रसीद सुरक्षित रखें। महाविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर रसीद दिखाना होगा।)**

(5) महाविद्यालय में एक बार जमा किये गये शुल्क की वापसी किसी दशा में नहीं की जायेगी और न ही किसी दूसरे के पक्ष में हस्तान्तरित की जायेगी, यह निर्णय अन्तिम है।

छात्रवृत्ति हेतु निर्देश -

महाविद्यालय द्वारा छात्रों को शासन से प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को आनलाइन फार्म भरकर उसकी एक प्रति **(Hard Copy)** निर्धारित प्रपत्रों के साथ निर्धारित तिथि के अन्दर महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। बिना एक प्रति महाविद्यालय में जमा किये वह फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं अग्रसारित नहीं किया जायेगा। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र यह सुनिश्चित करें कि उनका फार्म सही एवं पूरा भरा जाय अन्यथा इसके अभाव में उनकी छात्रवृत्ति शासन द्वारा निर्गत नहीं की जायेगी। यह छात्र की जिम्मेदारी होगी कि समय-समय पर कार्यालय से छात्रवृत्ति फार्म का पता करने के उपरान्त फार्म भर करके जमा करें। छात्रवृत्ति दरें शासन द्वारा निर्धारित है जिसमें महाविद्यालय का कोई योगदान नहीं है।

ACADEMIC & NON-ACADEMIC STAFF

Academic Staff :

Dr. Abhishek Singh (Founder Director)
Dr. Niraj Pathak (Asst. Prof.)
Dr. Arvind Kumar (Asst. Prof.)
Alok Kumar Rai (Asst. Prof.)
Nilay Kumar Pandey (Asst. Prof.)
Anand Kumar Upadhyay (Asst. Prof.)
M/s. Renu (Asst. Prof.)
Dr. Saroj Verma (Asst. Prof.)
Dr. Vijay Kumar (Asst. Prof.)
Karunamay (Asst. Prof.)

Non-Academic Staff :

N. D. Singh (O.S)
Yogesh Kumar Singh (O.S)
Sunita (Library Asst.)

पाठ्यक्रम (Syllabus)

विधि स्नातक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम और **विधि स्नातक पंचवर्षीय पाठ्यक्रम** महाविद्यालय के बेवसाइट **(web : www.lbrlawcollege.org)** पर उपलब्ध है।

Note:- For Clinical paper Contact Concerned Faculty Member

Enclosures :

LL.B Three Year Course :-

1. H.S. Marksheet & Certificate
2. Inter Marksheet & Certificate
3. Graduation Marksheet & Certificate
4. Migration or transfer certificate (as applicable)
5. Character Certificate
6. Affidavit (if applicable)
7. Caste certificate (imp.)

B.A. LL.B Five Year Course :-

1. H.S. Marksheet & Certificate
2. Inter Marksheet & Certificate
3. Migration or transfer certificate (as applicable)
4. Character Certificate
5. Affidavit (if applicable)
6. Caste certificate (imp.)

Note- (1) Admission will only be complete when full annual fees is deposited and I-Card of student is generated.
(2) All Original Documents should be Verified within 30 Days of Admission.

Contact No. :

निदेशक : 09415445355, 09519145371
Whats App No. : 09415868266
e-mail : lbrlawcollege_03@yahoo.co.in
web : www.lbrlawcollege.org
f : facebook.com/lbrlawcollege

Form No. ....

For Office use only

Enroll No.........................

Lokbandhu Rajnarayan Law College

MOTICOT, GANGAPUR, VARANASI - 221302

Affiliated : Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

Admission Form for B.A. LL.B. Five Year Course

स्व हस्ताक्षरित फोटो लगायें

Estd-2004

1. Name of Applicant (as on High School Mark sheet)

English : [ ]

2. Father's Name : ....

3. Mother's Name : ....

4. Sex : M - [ ] ; F - [ ] (Tick Mark)

5. Date of Birth : [ ] Day [ ] Month [ ] Year

6. Religion : .... 7. Marital Status : Married [ ] Unmarried [ ] (Tick Mark)

8. Category : SC [ ] ; ST [ ] ; OBC [ ] ; MINORITY [ ] ; GEN [ ] ; EWS [ ] ; PWD [ ] (Tick Mark) (Person with disability)

Sub Category :..

9. Nationality :..Aadhar No:..

10. Contact No. Mob.-.. Email in capital letters ....

11. Permanent Address :..

....Pin Code....................................(Compulsory)

Block...Tehasil...District...

12. Correspondence Address :..

....

13. Qualification :

Exam	Board / University	Subject	Year	Roll No.	Enroll No.	Obt.Mark / Max.Mark	%	Marksheet No.
H.S.								
Inter								
Other								

Declaration:

All the information and enclosure provided is true to my knowledge and no misrepresentation have been made by me. The College Management reserves the right to cancel my admission with no refund if any misrepresentation or false information is discovered.

My Admission will only be complete when full annual fees is deposited and all Original Documents are Verified within 30 Days of Admission.

Date..........................

( )

Full Signature Candidate

Form No.......................................   For Office use only   Enroll No.........................

Lokbandhu Rajnarayan Law College

MOTICOT, GANGAPUR, VARANASI - 221302

Affiliated : Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith, Varanasi

Admission Form for LL.B. Three Year Course

स्व हस्ताक्षरित फोटो लगायें

Estd-2004

1. Name of Applicant (as on High School Mark sheet)

English : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2. Father's Name : ....

3. Mother's Name : ....

4. Sex : M - ☐ ; F - ☐ (Tick Mark)

5. Date of Birth : ☐☐ Day ☐☐ Month ☐☐☐☐ Year

6. Religion : .... 7. Marital Status : Married ☐ Unmarried ☐ (Tick Mark)

8. Category : SC ☐ ; ST ☐ ; OBC ☐ ; MINORITY ☐ ; GEN ☐ ; EWS ☐ ; PWD ☐ (Tick Mark)
(Person with disability)

Sub Category :...

9. Nationality :...Aadhar No:..

10. Contact No. Mob.-...Email in capital letters ....

11. Permanent Address :..

....Pin Code...................................(Compulsory)

Block..Tehasil...District..

12. Correspondence Address :..

....

13. Qualification :

Exam	Board / University	Subject	Year	Roll No.	Enroll No.	Obt.Mark / Max.Mark	%	Marksheet No.
H.S.								
Inter								
U.G.								
P.G.								

Declaration:

All the information and enclosure provided is true to my knowledge and no misrepresentation have been made by me. The College Management reserves the right to cancel my admission with no refund if any misrepresentation or false information is discovered.

My Admission will only be complete when full annual fees is deposited and all Original Documents are Verified within 30 Days of Admission.

Date..........................   ( )
Full Signature Candidate

News & Events

Moot Court Event 2022

★ **National Law Day, 2022** celebration. Chief Guest Prof. **Satish Rai (Retd.)** MGKVP & Guest of Honour **Prashant Singh 'Atal'**, Adv., High Court, Lko Bench.

Inaugural New Session 2022

★ **Welcome** Bouquet To **Chief Guest Smt. Sudha Singh**, Civil Judge Sr. Div. Varanasi.

Gold medalist of our college **Surendra Prasad** with **Dr. Niraj Pathak** and **Alok Kumar Rai.**

★ Inaugural session 2021 by **Dr. Ajay Kr. Singh, Asst. Prof.,** Law Faculty BHU Varanasi.

Estd-2004

On Lawyers and Legal Profession

"We demean ourselves and our profession when we resolve to strike work, and paralyze the working of courts where cases demand our expertise and assistance. We also discredit our profession when we favour those in authority and power and do not stand up and defend the rights of citizens."

-Fali S. Nariman

I have never turned my back on any defendants no matter what the charge; when the cry is the loudest the defendant needs the lawyer most; when every man has turned against him the law provides that he should have lawyer. I can honestly say I have kept the faith.

- American Trial Lawyer Clarence Darrow

" An impartial administration of the law is like oxygen in the air; people know and care little about it till it is withdrawn."

- Lord Atkin

Lokbandhu Rajnarayan Inter College

College Campus